

एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामला 1994

प्रलिस के ललल:

[अनुच्छेद 356, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संघवाद, न्यायकि समीकषा](#)

मेन्स के ललल:

एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामले का महत्त्व, राष्ट्रपतिशासन, अनुच्छेद 356 का अनुचित उपयोग

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

चरचा में क्यों?

एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामले पर वर्ष 1994 में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) की नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नरिणय कलया गया जो [अनुच्छेद 356](#) के तहत राज्य सरकारों की मनमाना रूप से बरखास्तगी को प्रतबिधति करता है। इस नरिणय के 30 वर्ष बाद भी भारत के संवैधानिक ढाँचे को आकार देने में इसकी भूमिका बनी हुई है।

एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामला क्या है?

■ एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामले की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1985 में जनता पार्टी ने कर्नाटक में वधिनसभा चुनाव जीत कर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के रूप में रामकृष्ण हेगड़े को चयनति कलया। वर्ष 1988 में हेगड़े के स्थान पर एस.आर.बोममई ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कलया।
 - सतिंबर 1988 में जनता दल के एक वधियक ने वधिनसभा के **19 अन्य सदस्यों के साथ पार्टी छोड दी** और बोममई के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले ललया।
- सदस्यों द्वारा दलबदल करने से पार्टी का बहुमत प्रभावति हुआ जिसके कारण **अनुच्छेद 356 का उपयोग कर राज्य सरकार को बरखास्त कर दलया गया**। बोममई द्वारा बहुमत परीक्षण का अनुरोध कलया गया जसि [राज्यपाल](#) ने अस्वीकार कर दलया।
- बोममई ने उच्च न्यायालय का रुख कलया जसिमें बोममई के वरिद्ध नरिणय सुनाया गया, जसिके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

■ सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर बल दलया कअनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपतिद्वारा आपात की उदघोषणा का सावधानी से प्रयोग कलया जाना चाहलये, जैसा क **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** और [सरकारलया आयोग](#) द्वारा अनुशंसा की गई थी।
- संसद के दोनों सदनों को **अनुच्छेद 356(3)** के अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा आपात की उदघोषणा का गहन वशल्लेषण करना चाहलये।
 - यद उदघोषणा दोनों सदनों की मंजूरी के बनिा जारी की जाती है तो यह **दो माह के भीतर समाप्त** हो जाती है और राज्य वधिनसभा अपना संचालन पुनः प्रारंभ कर सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय उदघोषणा की **न्यायकि समीकषा** कर सकती है और इसकी वैधता को चुनौती देने वाली **रति याचकलियों** पर वचिर कर सकती है यद याचकलिया में तर्कपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं।
- नरिणय में यह स्पष्ट कलया क कलसी **राज्य सरकार को बरखास्त करने की राष्ट्रपति की शक्तिपूर्ण/आत्यंतकि नहीं** है अपति सीमाओं के अधीन है।
 - यह माना गया क हललॉक **अनुच्छेद 356** वधिनमंडल के वधितन को स्पष्ट रूप से संबधति नहीं करता है, फरि भी इससे ऐसी शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है।
 - अनुच्छेद 174(2)** जो राज्यपाल को वधिन सभा को भंग करने की अनुमतति देता है तथा **अनुच्छेद 356(1)(A)**, जो राष्ट्रपति को राज्यपाल एवं राज्य सरकार की शक्तियों को प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जो वधिन मंडल को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।

■ एस.आर. बोममई बनाम भारत संघ मामले का महत्त्व:

- एस.आर. बोममई मामला [मुल संरचना सदिधांत](#) के साथ-साथ **अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को दर्ज करने** के संबध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतहलसकि नरिणयों में से एक है।

- नरिणय दवारा अनुच्छेद 356 के दायरे तथा सीमाओं पर स्पष्टता प्रदान की और साथ ही केवल असाधारण परस्थितियों में इसके उपयोग पर ज़ोर दिया ।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति सदिधांत सरकारिया आयोग की सफिरशियों के अनुरूप थे ।
- इस मामले ने संघवाद के सदिधांतों की पुष्टि की, जिसमें कहा गया किराज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं और साथ ही यह सहकारी संघवाद की वकालत भी करती हैं ।
- नरिणय में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों की जाँच करने, संवैधानिक सदिधांतों का पालन सुनिश्चित करने तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर ज़ोर दिया गया ।
- इसने पुष्टि की कविधानसभा का पटल सरकार के बहुमत का परीक्षण करने का एकमात्र अधिकार है, न किराज्यपाल की व्यक्तिपरक राय का ।

नोट:

- सरकारिया आयोग ने कुछ मामलों में अनुच्छेद 356(1) को लागू करने से पहले राज्य को सूचित करने की अनुशंसा की ।
 - इसमें कहा गया है कसिमस्या को हल करने के लिये पहले अन्य सभी वकिलपों पर वचिर कया जाना चाहिये और साथ ही अनुच्छेद 365 का उपयोग केवल तभी कया जाना चाहिये जब कोई अन्य वकिलप उपलब्ध न हो जो समस्या को हल करने के लिये लागू कया जा सके ।
- सहकारी संघवाद एवं प्रतसिपर्दधी संघवाद:
 - सहकारी संघवाद में केंद्र तथा राज्य एक कषैतजि संबंध साझा करते हैं, जहाँ वे व्यापक सार्वजनिक हति में "सहयोग" प्रदान करते हैं ।
 - यह राष्ट्रीय नीतियों के नरिमाण एवं कार्यानवयन में राज्यों की भागीदारी को सक्षम करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है ।
 - संघ तथा राज्य संविधान की अनुसूची VII में नरिदषिट मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये संवैधानिक रूप से बाध्य हैं ।
 - प्रतसिपर्दधी संघवाद में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संबंध लंबवत् एवं राज्य सरकारों के बीच कषैतजि होता है ।
 - प्रतसिपर्दधी संघवाद में राज्यों को लाभ के लिये आपस में और केंद्र के साथ भी प्रतसिपर्दधा करने की आवश्यकता होती है ।
 - राज्य धन और नविश आकर्षति करने के लिये एक-दूसरे के साथ प्रतसिपर्दधा करते हैं, जिससे प्रशासन में दक्षता आती है तथा वकिसात्मक गतिविधियों में वृद्धि होती है ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है?

- अनुच्छेद 356 की पृष्ठभूमि:
 - संविधान सभा में प्रारंभिक चर्चा में इस बात पर वचिर कया गया किक्या भारत को संघीय या एकात्मक सरकार प्रणाली अपनानी चाहिये ।
 - वचिर के दो मत उभरे, जनिमें संघवाद के समर्थक वकिंद्रीकृत शक्तियों के लिये तर्क दे रहे थे और अन्य अधिकि केंद्रीकृत एकात्मक राज्य का समर्थन कर रहे थे ।
 - डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट कया किराज्य संघीय और एकात्मक दोनों सदिधांतों के तहत कार्य करता है, सामान्य परस्थितियों में संघवाद प्रचलति होता है तथा आपात स्थिति के दौरान एकात्मक नयितरण होता है ।
 - दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनियों के बावजूद, परवर्ती सरकारों ने राजनीतिक कारणों से अनुच्छेद 356 को बार-बार लागू कया, जिसके परिणामस्वरूप इसे 132 बार लागू कया गया ।
- अनुच्छेद 356:
 - भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 पर आधारति है ।
 - अनुच्छेद 356 के अनुसार, संवैधानिक प्रशासन की वकिलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ।
 - राष्ट्रपति शासन दो स्थितियों में लगाया जा सकता है: जब राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा वह आश्वस्त होता है किराज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है (अनुच्छेद 356) तथा जब कोई राज्य केंद्र सरकार के नरिदेशों का पालन करने में वकिल रहता है (अनुच्छेद 365) ।
 - राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार नलिंबति हो जाती है और केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाती है ।
 - राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये संसदीय अनुमोदन आवश्यक है और इसे दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदति कया जाना चाहिये ।
 - प्रारंभ में, राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिये लागू होता है और इसे हर छह महीने में संसदीय मंजूरी के साथतीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
 - संविधान में 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने पर प्रतबिध लगा दिया, जिससे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में वसितार की अनुमति मिलति है या यदिरिवाचन आयोग राज्य विधानसभा चुनाव आयोजति करने में कठिनाइयों के कारण आवश्यकता को प्रामाणति करता है ।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1988) की रिपोर्ट के आधार पर, बोम्मई मामले, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध कया जहाँ अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है ।

अनुच्छेद 356 का उचित उपयोग	अनुच्छेद 356 का अनुचित उपयोग
त्रिशिकु वधानसभा: चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मललता ।	वैकल्पकल मंत्रालय गठन की खोज कयल बनल मंत्रमंडलोंने ने त्याग-पत्र दे दयल ।
बहुमत दल ने मंत्रालय बनाने से इनकार कर दयल, और बहुमत वाला कोई गठबंधन मंत्रालय उपलब्ध नहीं है ।	राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण की अनुमतल दयल बनल राष्ट्रपतल शासन लगा दयल ।
वधानसभा में हार के बाद मंत्रमंडल ने त्याग-पत्र दे देता है और कोई भी पार्टी बहुमत के साथ नया मंत्रालय नहीं बना सकती है ।	लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की बड़ी हार हुई है ।
संवधान का आंतरकल तोड़फोड़ या जानबूझकर उललंघन ।	आंतरकल अशांतल तोड़फोड़ या वधलटन की श्रेणी में नहीं आती ।
राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानकल नरलदेश की अवहेलना करती है ।	उचित चेतावनी के बनल कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के आरोप ।
शारीकल वच्छेद, राज्य सुरक्षा को खतरे में डालना ।	अंतरपकषीय मुद्दों या अपरासंगकल उद्देश्यों के लयल दुरुपयोग ।
	आपातकालीन स्थतलतल को छोड़कर राज्य सरकार को पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है ।

UPSC सवलल सेवा परीक्षा, वगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. कसल राज्य में राष्ट्रपतल शासन की उदघोषणा के नमलनलखतल में से कौन-से परणामों का होना आवश्यक नहीं है? (2017)

1. राज्य वधानसभा का वधलटन
2. राज्य के मंत्रपरलषलद का हटाया जाना
3. स्थानीय नकलयों का वधलटन

नीचे दयल गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनयल:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. यदयपल परसलंघीय सदलधांत हमारे संवधान में प्रबल है और वह सदलधांत संवधान के आधारतल अभलकषणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सतय है कल भारतीय संवधान के अधीन परसलंघवाद सशक्त केंद्र के पकष में झुका हुआ है, यह एक ऐसा लक्षण है जपो प्रबल परसलंघवाद की संकल्पना के वरलंध में है । चर्चा कीजयल । (2014)